न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/2196/2006/करौली

1– गणेश पुत्र धन सिंह
2– कमलेश पुत्र धन सिंह
3– रतनी बैवा धन सिंह
जाति मीणा निवासी ग्राम थूमा तहसील सपोटरा जिला करौली।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– हरीलाल पुत्र कजोड्या
2– राजेश पुत्र भरत लाल
3– रामरूप पुत्र भरत लाल नाबालिग जरिये संरक्षक माता सुरजा बेवा भरतलाल
4– सुरजो बेवा भरत लाल
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम थूमा तहसील सपोटरा जिला करौली।
5– मीठया लाल पुत्र कजोड्या (फौत) के कायम मुकामः–
5/1 बच्चूलाल मीणा पुत्र मीठया लाल जाति मीणा निवासी ग्राम थूमा तहसील सपोटरा जिला करौली।
5/2. विमला पुत्री मिठ्या लाल पत्नि बबरी मीणा निवासी गुडली तहसील गंगापुरसिटी जिला करौली
5/3. कमला पुत्री मिठ्या लाल पत्नि अमरसिंह मीणा निवासी राधापुरा बामनवास जिला सवाईमाधोपुर
6– श्रीलाल पुत्र कजोड्या
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम थूमा तहसील सपोटरा जिला करौली।
7– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सपोटरा

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री आर.के. जायसवाल, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थित :
श्री जे.के.पारीक, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री जे.पी.माथुर व श्री बसंत विजयवर्गीय, अभिभाषक प्रत्यर्थी सं.1, 6 व 5 के वारीसान के

दिनांक

निर्णय

1— यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4—2—06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी रेस्पोडेंट सं.1, 5 व 6 ने प्रतिवादी अपीलांट एवं प्रतिवादी रेस्पोडेंट 2, 4 एवं 7 के विरूद्ध एक दावा अंतर्गत धारा 53 व धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उप जिला कलेक्टर सपोटरा के समक्ष अपील ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी के सबंध में प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय उप जिला कलेक्टर सपोटरा ने उभय पक्ष को सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 9—3—04 द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया। जिससे असन्तुष्ट हो कर वादी रेस्पोडेंट् सं.1 ने प्रथम अपील, राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के यहां प्रस्तुत की। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 4—2—06 द्वारा स्वीकार करते हुये आराजी खसरा नंबर 303/561 रकबा 10 बिस्वा का खातेदार वादी रेस्पोडेंट सं.1 घोषित करते हुये शेष निर्णय व डिक्री उप जिला कलेक्टर सपोटरा दिनांक 27—4—2004 बहाल रखा। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा वादी की अपील स्वीकार करने का आधार व कारण अंकित नहीं किया। अपीलीय न्यायालय आदेश 41 नियम 31 सीपीसी मे प्रावधित प्रावधानों के विपरीत निर्णय दिया है। वादी रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद में यह अंकित किया गया था कि विवादित भूमि का पूर्व में राजीनामा व बंटवारा हो गया है तथा सभी अपने अपने हिस्से का काबिज है तथा तीनो वादीगण मिठ्यालाल, श्रीलाल व हरीलाल 1/4—1/4 एवं प्रतिवादीगण का 1/4 हिस्से पर काबिज है। इस तथ्य को मानते हुये इस बाबत् दावा डिक्री किये जाने की सहमति प्रदान की थी। इसके आधार पर ही परीक्षण न्यायालय ने दावा डिक्री किया था। इस निर्णय व डिक्री को चुनोति प्रदान कर वादी द्वारा निरस्त नहीं करवाने की स्थिति में वह अंतिम निर्णय व डिक्री की परीभाषा में आता है। इस निर्णय व डिक्री के रहते हुये वादी रेस्पोडेंट सं.1 अंतिम निर्णय व डिक्री को चुनोति प्रदान नहीं कर सकते थे। अपलीय न्यायालय बंटवारे की अपील में खसरा नंबर 303/561 रकबा 10 बिस्वा के बाबत् निरस्त

करने हेतु सक्षम नहीं थे। बंटवारा सही है या गलत यह निर्णय परीक्षण न्यायालय ही कर सकता है। पूर्व बंटवारें के तहत ही दोनों पक्षक काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी ने उसके हक में डिक्री पारित होने के बाद केवल मात्र एक खसरे को चुनोति दे अनुतोष प्राप्त किया है। परीक्षण न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों व दस्तावेजों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर वाद सही रूप से डिक्री किया था। किंतु अपीलीय न्यायालय ने अपील मनमाने तौर पर स्वीकार की है। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे एवं परीक्षण न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावे।

4— विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये बहस में कहा कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री मौके पर कब्जे तथा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम के अनुसार की गई है। पक्षकारान के मध्य जो वाहमी बंटवारा हुआ उसमें खसरा नंबर 303/561 रकबा 10 बिस्वा वादी के कब्जेकाश्त खातेदारी का रकबा है और वादी के पक्ष में ही इसे स्कीम में दर्ज किया हुआ है। इस बाबत् वादी द्वारा परीक्षण न्यायालय में आपत्ति भी की गई थी, जिस पर विचार नहीं किया गया। विवादित आराजी पर वादी की रिहाईश है और श्रीलाल व मिठ्यालाल ने शपथ पत्र के जरिये वादी का कब्जा होना बताया है। परीक्षण न्यायालय ने बनाई गई बंटवारा स्कीम में वादी को कम भूमि दी गई। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय ने वादी को विवादित आराजी की खातेदारी देते हुये शेष डिक्री यथावत रखी। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से यह अपील खारिज की जावे।

5— विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

6— वादीगण मीठयालाल, श्रीलाल एवं हरिलाल के द्वारा प्रतिवादीगण गणेश वगैरह के विरूद्ध धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया एवं विवादित आराजी का 1/4 हिस्सा प्रत्येक के कब्जे अनुसार विभाजन चाहा। इसके उपरांत प्रतिवादीगण सं.1 से 6 द्वारा इकबालिया जवाबदावा पेश किया कि उक्त सम्पूर्ण आराजियात का बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता एवं पति धनसिंह जो वादीगण के खास भाई थे उन्होंने अपने जीवनकाल में चारों भाईयों ने बैठकर बहमी बंटवारा कर लिया है जिसकी फर्द उसी वक्त मौके पर पक्षकारान द्वारा तैयार की तथा उस फर्द की प्रति इस जवाबदावे के साथ प्रस्तुत की जा रही है तथा समस्त पक्षकारान उक्त बाहमी बंटवारों के उनके हिस्से में आई भूमि

पर बाहैसियत खातेदार काश्तकार चले आ रहे है तथा उक्त बाहमी बंटवारा संलग्न सिड्यूल ''ए'' के अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अपने नाम खातदारी इंद्राज पृथक पृथक दर्ज कराने हेतु तैयार है। न्यायालय उपखंड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 9–3–04 द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम के अनुसार उक्त समस्त आराजियात के मध्य विभाजन बाबत् अंतिम उिक्री जारी की गई जिसमें विस्तार से प्रत्येक पक्षकार को दी जाने वाली भूमि का खसरा नंबरवार विवरण अंकित है। उक्त बंटवारा स्कीम का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि इस पर समस्त पक्षकारान के हस्ताक्षर मौजूद है तथा उपखंड अधिकारी द्वारा पारस्परिक बाहमी बंटवारे के आधार पर पारित उक्त कंसेंट डिक्री में किसी प्रकार की तथ्य एवं विधि संबंधी त्रुटि नही की गई है।

7– इसके उपरांत अपीलांट/वादी सं.3 हरिलाल द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में इस आशय की अपील पेश की गई कि खसरा नंबर 303/561 रकबा 10 बिस्वा पर उसका कब्जाकाश्त है और उसकी रिहायश है तथा बंटवारा स्कीम में उक्त रकबा वादी के पक्ष में दर्ज किया हुआ है। इस खसरा नंबर के बाबत् तहत न्यायालय में भी आपत्ति पेश की गई थी किंतु इस पर विचार नहीं किया गया। हमारे द्वारा बंटवारा स्कीम पर एतराज करने के बाद उस पर सुनवाई उपरांत ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। रेस्पोडेंट मिठयालाल एवं श्रीलाल वादी सं.1 व 2 के द्वारा भी शपथ पत्र पेश कर अपीलांट हरिलाल का विवादित आराजी पर कब्जा होना अंकित किया है तथा यह भी कथन किया कि बंटवारें में वादीगण को कम जमीन दी गई है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा अपीलांट हरिलाल की अपील इस आधार पर स्वीकार की गई की कि धनसिंह, मीठालाल, श्रीलाल व हरिलाल सगे भाई है अतः सभी के मध्य आराजियात का समान विभाजन होना चाहिये था। इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा श्रीलाल व मीठ्यालाल द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों को आधार बनाकर यह निष्कर्ष व्यक्त किया कि खसरा नंबर 303/561 रकबा 10 बिस्वा पर रेस्पोडेंट अपीलांट हरिलाल का कब्जाकाश्त है तथा उक्त आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा खसरा नंबर 303/561 रकबा 10 बिस्वा के बाबत् पारित निर्णय को अपास्त किया एवं शेष निर्णय व डिक्री यथावत रखी।

8– उक्त निर्णय के विरूद्ध धनसिंह के वारिसान द्वारा वर्तमान अपील पेश की गई है। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 9–3–04 को उभय पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित थे एवं उभय पक्षकारान द्वारा बाहमी बंटवारे के आधार पर प्रस्तुत बंटवारा स्कीम के अनुसार न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित

की गई है। उक्त बंटवारानामा पर समस्त पक्षकारान के हस्ताक्षर मौजूद है तथा परीक्षण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनकर एवं पारस्पिरिक सहमति के आधार पर तैयार बंटवारा स्कीम के आधार पर ही विभाजन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से रेस्पोडेंट वादी सं.3 के इस कथन की पुष्टि नहीं होती है कि उसके द्वारा सम्पूर्ण बंटवारा स्कीम या खसरा नंबर 303/561 के बाबत् परीक्षण न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपत्ति पेश की गई है तथा न्यायालय द्वारा इस पर विचार किये बिना निर्णय पारित किया है। राजस्व अपील प्राधिकारी का यह निष्कर्ष सरहीन है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सगे भाई है, अतः चारों में समान रूप से 1/4 हिस्सा प्रत्येक का बंटवारा होना चाहिये था। समस्त पक्षकारान की पारस्परिक सहमति के आधार पर प्रस्तुत बंटवारा स्कीम के आधार पर बंटवारा बाबत् अंतिक डिक्री पारित की गई है जोकि सर्वथा उचित है। राजस्थान टिनेंसी(बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 के नियम 19 के अंतर्गत निम्नाकिंत प्रावधान किया गया है तथा उक्त प्रावधान के अनुसार उपखंड अधिकारी द्वारा बंटवारा स्कीम के अनुसार अंतिम डिक्री करने हेतु बाध्य थे।

Sec. 19 : If during pendency of suit for division of holdings the cotenants in the suit come to an agreement, the suit shall be decided as per terms of agreement.

9- यह स्वीकृत मान्य सिद्धांत है कि साधारणतया राजीनामें के आधार पर पारित डिक्री विरूद्ध अपील नहीं हो सकती। किंतु आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में यह प्रावधान दिया है कि राजीनामा कानून सम्मत् होना चाहिये। हस्तगत् प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाबदावा व समस्त पक्षकारान की रजामंदी के आधार पर विभाजन बाबत् अपीलाधीन विभाजन डिक्री पारित की गई है। हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया है जिससे यह साबित हो कि राजीनामा कानून सम्मत् नहीं है या फ्राड के द्वारा कराया गया है। उपखंड अधिकारी द्वारा पारित आदेश में ऐसी कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसमें द्वितीय अपील के आधार पर किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पक्षकारान के मध्य समान हिस्से के अनुसार विवरण नहीं होने का आधार लेकर परीक्षण न्यायालय के निर्णय को खारिज किया है, वह उचित नहीं है। उनके द्वारा नियम 19 के प्रावधानों की उचित व्याख्या नहीं की गई है जिसके अनुसार पारस्परिक सहमति के आधार पर प्रस्तुत बंटवारा स्कीम के अनुसार डिक्री पारित किया जाना कानूनन आवश्यक था। रेस्पोडेंट/अपीलांट हरिलाल के उक्त बंटवारानामा पर हस्ताक्षर मौजूद है तथा उसके द्वारा बंटवारा स्कीम पर

हस्ताक्षर होने बाबत् खंडन नहीं किया गया है। वह अपने अभिवचनों एवं कृत्य से एस्टोपड है। यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट/अपीलांट हरिलाल द्वारा सम्पूर्ण आराजियात के बाबत् अंतिम डिक्री को चुनोति नहीं दी गई है।

10— उक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत् अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 4—2—06 निरस्त की जाती है एवं उपजिला कलेक्टर सपोटरा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 9—3—04 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(आर.के.जायसवाल)
सदस्य